न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 651/2026
CNR NO.– UPKJ040031262026
मु०अ०सं०– 439/2024
धारा–115,352,351(3),117(2), 110 भारतीय न्याय संहिता,
थाना गुरसहायगंज व जिला कन्नौज।

22.05.2026

मु०अ०सं०–439/2024, अंतर्गत धारा–115,352,351(3),117(2), 110 **भारतीय न्याय संहिता,**, थाना गुरसहायगंज व जिला कन्नौज में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण महेन्द्र व राकेश की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण स्वयं आत्मसमर्पण कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

अभियुक्तगण द्वारा संक्षेप में कथन किया गया है कि उन्होनें किसी भी व्यक्ति को न तो मारपीट करके चोट पहुंचायी है और न गाली या धमकी दी है। उनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। वह जमानत पर मुक्त होने पर जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे। अतः जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त जमानत प्रार्थना पत्र के आलोक में अभियोजन द्वारा अपना प्रबल विरोध इस आशय से दर्ज किया गया है कि अभि० पर आरोपित अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय व सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

उक्त प्रार्थना पत्र व अभियोजन आख्या के दृष्टिगत मौजूदा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी संजेश व उसके पिता मेवाराम पर लाठी डंडों व सरिया से मारपीट करने, उनके सिर पर प्राणघातक चोटें पहुंचाकर आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न का अभियोग दर्ज है। पूर्व में सह–अभियुक्तगण की जमानत निरस्त की जा चुकी है । अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध संज्ञेय एवं अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। अतः ऐसे में मामले में जमानत याचना स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण महेन्द्र व राकेश द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत मु०अ०सं०– 439/2024, थाना गुरसहायगंज व जिला कन्नौज खारिज किया जाता है।

(विपिन यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 2347